न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर फूलियाकलां जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी– श्री भंवरलाल कांसोटिया, आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 –	तारीख दायर	तारीख फैसला
250/2017/प्रार्थना पत्र	20.06.2017	22.02.2018

उनवान

प्रभुलाल पिता देबी कीर निवासी सरदारपुरा तह0 फूलियाकलां

—— प्रार्थी

बनाम

1– देबीलाल पिता हरदेव कीर निवासी सरदारपुरा तह0 फूलियाकलां
2– रामपाल पिता देबीलाल कीर निवासी सरदारपुरा तह0 फूलियाकलां
3– घीसा पिता देवकरण जाट निवासी तसवारिया बांसा तह0 फूलियाकलां
4– राधादेवी पत्नि देबीलाल कीर निवासी सरदारपुरा तह0 फूलियाकलां
5– तहसीलदार, फूलियाकलां

—— विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा0टि0एक्ट

उपस्थित :– 1– श्रीमती मदीना बानू : अधिवक्ता प्रार्थी
2– श्री विजय पाराशर : अधिवक्ता विपक्षीगण

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212रा0टि0एक्ट विरूद्व विपक्षीगण के प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है, ग्राम सरदारपुरा प0ह0 ड़ोहरिया मे खाता संख्या 46 आराजी कुल किता 6 रकबा 1.56 है0 प्रार्थी की पुस्तेनी आराजीयात स्थित है। प्रार्थी के दादा हरदेव पिता रतना कीर के नाम की आराजी 2058–61 मे दर्ज थी जो विरासत से प्रार्थी के पिता देबीलाल विपक्षी 1 के नाम हिस्सा अनुसार इन्द्राज हुई है। प्रार्थी की पुस्तेनी होने से प्रार्थी का जन्म से अधिकार है उक्त पुस्तेनी भूमि ही हमारे परिवार का गुजर–बसर जीविका उपार्जन का एक मात्र साधन है। विपक्षी 1 प्रार्थी के पिता होकर बिना सहमति के अपने हिस्से की कृषि आराजीयात को बेचने पर उतारू है उक्त हिस्सा विक्रय होने पर प्रार्थी व परिवार के भूखों मरने की नोबत आ जायेगी व जीना मुश्किल हो जायेगा। आ0न0 12/442 रकबा 0.43 है0 भूमि विपक्षीगण संख्या 3 को दिनांक 16.05.2017 को विक्रय कर देने से उसके नाम इन्द्राज हो गई है। प्रार्थी को जबरदस्ती कब्जे से हटाने का प्रयास करेगा जिससे प्रार्थी को भारी आर्थिक क्षति होने की संभावना है अतः विपक्षी 1 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि उक्त भूमि को किसी प्रकार से विक्रय, हस्तान्तरित नही करे व न किसी अन्य व्यक्ति से करावे। प्रार्थी को ताकत के बल पर जबरन परेशान नही करे।

प्रकरण पंजीबद्व किया जाकर दिनांक 20.06.2017 को अन्तरिम आदेश जारी किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 27.07.2017 को विपक्षीगण की अभिभाषक श्री विजय पाराशर उपस्थित हुये दिनांक 20.09.2017 को विपक्षी नं0 1, 3 व 4 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ। जवाब मे बताया कि उसके कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि होने से विक्रय की की गई है प्रार्थी का वादग्रस्त आराजीयात पर कब्जा नही है। उक्त विक्रय पत्र को खारिज कराने हेतु सक्षम न्यायालय मे प्ररकण प्रस्तुत करे। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज किया जावे। विपक्षी नं0 2 का जवाब बन्द किया गया तथा विपक्षी 5 की ओर से पेरोकार सरकार द्वारा बताया कि फोरमल पक्षकार होने से जवाब अपेक्षित नही है। प्रकरण अन्तिम बहस के नियत किया गया। दिनांक 09.02.2018 को बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई। बहस मे अभिभाषक प्रार्थी ने बताया कि वादग्रस्त आराजी पुस्तेनी होने से जन्म से ही उसका हक हिस्सा निहित है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे। अभिभाषक विपक्षीगण ने अपनी बहस मे बताया कि वादग्रस्त आराजी का अप्रार्थी नं0 1 खातेदार होने से उसकी एवं परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भूमि विक्रय की गई है जिसका उसे पूर्ण अधिकार है। खातेदार के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है इस संबंध मे आर आर टी 2006 (2) आरआरटी 1410 बरेर्ड ऑफ रेवेन्यू फोर राजस्थान, अजमेर श्री संजय दीक्षित मेम्बर मदनलाल व अन्य बनाम ठिकूराम व अन्य के उद्वरण की फोटोप्रति प्रस्तुत की जिसके अनुसार रेकार्डेड खातेदार के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित समझता हूँ :–

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टि0एक्ट विरूद्व विपक्षीगण सिद्व नही होने से खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। मूल वाद के साथ संलग्न हो।

आदेश आज दिनांक 23.02.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(भंवरलाल कांसोटिया)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, फूलियाकलां (भीलवाडा)

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
फूलिया कलां, जिला–भीलवाड़ा